N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.
## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT  P.S. (थाना): C.P.S Jaipur  Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0265  Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 18/11/2024 17:46 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): गुरूवार  Date From (दिनांक से): 29/08/2024  Date To (दिनांक तक): 29/08/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 5  Time From (समय से): 12:15 बजे  Time To (समय तक): 14:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 18/11/2024  Time (समय): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002  Date & Time (दिनांक एवं समय) 18/11/2024 17:46:05 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 02 किमी  Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): DISTRICT JODHPUR, KARYALYA KHNI ABHIYNTA, KHAN AVM BHU-VIGHAN VIBHAG

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):  District(State) (जिला (राज्य) ):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAVINDRA SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GOVIND SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | GALI NO.07, SHISHAK COLONY CHOPASNI, CHOPASANI HOUSING BOARD, JODHPUR CITY WEST, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | GALI NO.07, SHISHAK COLONY CHOPASNI, CHOPASANI HOUSING BOARD, JODHPUR CITY WEST, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPIL BISSA | | पिता:RAMESCHANDR BISSA | 1. JALORI GET,JALAF MAOHLLA,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 2,500.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 2,500.00
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर विषयः- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत। महोदय निवेदन है कि मैं रविन्द्रसिंह S/O गोविन्दसिंह जातिः राजपुत निवासी शिक्षक कॉलोनी चौपासनी स्कूल गलीः 7 जोधपुर का रहने वाला हूं। मेरी माताजी श्रीमती निर्मल कवंर के नाम से खान है। खान 262 व 263 जो कि पाबुमगरा जोधपुर में जारी हो रखी है मेरे माताजी अधीक उम्र होने के कारण खान कि देख-रेख मैं ही करता हूँ मैने खान का बकाया किराया S.B.I. बैंक कचेरी मे चालान से 92000 के लगभग अगस्त माह मे कराया था जिस चालान रसीद कि एन्ट्री डायरी में करवाने के लिए वरिष्ठ सहायक खान विभाग के श्री कपिल बिस्सा जी के पास गया उस वरिष्ठ सहायक कपिल बिस्साजी ने डायरी में एन्ट्री करने व सील लगाने के लिए मेरे से 5000/-रूपये रिश्वत राशि कि मांग कि मैं मेरे जायज काम के लिए वरिष्ठ सहायक कपिल बिस्सा जी खान विभाग को रिश्वत राशि 5000/-रूपये नहीं देना चाहता हूँ बल्कि उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ मेरी वरिष्ठ सहायक कपिल बिस्सा जी से न कोई पुरानी रंजिश है न ही कोई पुरानी लेन देन बकाया है कृपया करके कानूनी कार्यवाही करे। भवदीय एसडी/ (रविन्द्रसिंह) मो. [redacted] कार्यवाही पुलिस दिनांक 29-08-2024 समय 12.15 P.M. इस समय परिवादी श्री रविन्द्रसिंह S/O श्री गोविन्दसिंह जाति राजपूत उम्र 36 वर्ष निवासी शिक्षक कालोनी चौपासनी स्कूल गली नं. 7 जोधपुर ने कार्यालय में उपस्थित होकर हस्तलिखित रिपोर्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की। रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन कर अग्रिम कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। एसडी रविन्द्रसिंह एसडी एसडी एसडी एसडी (चक्रवर्तीसिंह राठौड़) रमेशचन्द्र विशाल राजपुरोहित सुनिता कुमारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 30/8/24 30/8/24 30/08/24 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर (राज.) कार्यवाही पुलिस दिनांक 29.08.2024 समय 12.15 पी.एम. इस समय परिवादी श्री रविन्द्रसिंह S/O गोविन्दसिंह जाति राजपुत उम्र 36 वर्ष निवासी शिक्षक कॉलोनी चौपासनी स्कूल गलीः 7 जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर में उपस्थित होकर एक हस्त लिखित रिपोर्ट मन् चक्रवर्ती सिंह राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि "मैं रविन्द्रसिंह S/O गोविन्दसिंह जातिः राजपुत निवासी शिक्षक कॉलोनी चौपासनी स्कूल गलीः 7 जोधपुर का रहने वाला हूं। मेरी माताजी श्रीमती निर्मल कवंर के नाम से खान है। खान 262 व 263 जो कि पाबुमगरा जोधपुर में जारी हो रखी है मेरे माताजी अधीक उम्र होने के कारण खान कि देख-रेख मैं ही करता हूँ मैने खान का बकाया किराया S.B.I. बैंक कचेरी मे चालान से 92000 के लगभग अगस्त माह मे कराया था जिस चालान रसीद कि एन्ट्री डायरी में करवाने के लिए वरिष्ठ सहायक खान विभाग के श्री कपिल बिस्सा जी के पास गया उस वरिष्ठ सहायक कपिल बिस्साजी ने डायरी में एन्ट्री करने व सील लगाने के लिए मेरे से 5000/-रूपये रिश्वत राशि कि मांग कि मैं मेरे जायज काम के लिए वरिष्ठ सहायक कपिल बिस्सा जी खान विभाग को रिश्वत राशि 5000/-रूपये नहीं देना चाहता हूँ बल्कि उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ मेरी वरिष्ठ सहायक कपिल बिस्सा जी से न कोई पुरानी रंजिश है न ही कोई पुरानी लेन देन बकाया है कृपया करके कानूनी कार्यवाही करे।" मजीद दरियाफत् पर परिवादी ने बताया कि उक्त हस्त लिखित रिपोर्ट मैंने स्वयं लिखी है तथा उक्त रिपोर्ट में अंकित समस्त तथ्य सही होना बताया। हस्त लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाफती से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का होना पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय के श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक को कार्यालय कक्ष में तलब कर उसका परिचय परिवादी श्री रविन्द्रसिंह से करवाया गया। दोनों के मोबाईल नम्बर एक दुसरे को आदान प्रदान कराये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको चालु करने, बन्द करने की प्रक्रिया परिवादी श्री रविन्द्रसिंह को समझायी गई। तत्श्चात वक्त 12.45 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर आवश्यक हिदायत के साथ कार्यालय के श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवानें हेतु परिवादी श्री रविन्द्रसिंह के साथ खान विभाग कार्यालय जोधपुर के लिए रवाना किया गया। ताबाद वक्त 01.41 पी.एम. पर श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक ने अपने मोबाईल नं. [redacted] से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नं. [redacted] पर कॉल कर बताया कि परिवादी के कहेनुसार रिश्वत राशि का मांग सत्यापन हो

गया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक को परिवादी के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। तत्पश्चात् वक्त 02.00 पी.एम. पर श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री रविन्द्रसिंह रिश्वत राशि मांग सत्यापन में गये हुए बाद सत्यापन कार्यालय में उपस्थित आये तथा श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक ने स्वीच ऑफ शुदा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि परिवादी श्री रविन्द्रसिंह एवं संदिग्ध श्री कपिल वरिष्ठ सहायक के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता हो गई जो इस कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है साथ ही परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं व श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक ब्यूरो चौकी से मेरी मोटर साईकिल से रवाना होकर खान विभाग कार्यालय जोधपुर से थोड़ा पहले पहुंचे। जहां पर श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक ने मुझे आवश्यक हिदायत देकर अपने साथ लाये डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑन कर मुझे सुपुर्द कर श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक खान विभाग जोधपुर से वार्ता करने हेतु पैदल रवाना किया। मैं वहां से रवाना होकर खान विभाग के कार्यालय में पहुंचा जहां पर खान विभाग कार्यालय के हॉल में श्री कपिल बिस्सा बैठा उपस्थित मिला। जहां पर मैने उनको मेरी डायरी में एन्ट्री व सील साईन करने हेतु कहा तो उन्होने का साहब बैठे है क्या। तब मैं वहां देखकर आया उसके बाद बाबुजी साहब के कमरे में जाकर मेरी डायरी पर सील साईन करवाकर वापस बाहर आये। तब तक मैं साहब के ऑफिस के सामने खड़ा रहा। कपिल बिस्सा साहब के ऑफिस से बाहर आकर साहब के ऑफिस के सामने बना छोटे कमरे में मेरे को साथ लेकर गया एवं मेरी को डायरी वापस देने के लिये मेरे से रूपये मांगने के लिए हाथ से ईशारा किया। जिस पर मैंने कपिल बिस्सा को 2500/-रूपये मेरी जेब से निकाल कर दिये। तब कपिल बिस्सा ने मुझे कहा कि ये कितने है तो मैंने कहा गिन लो, जिस पर कपिल बिस्सा ने बोला आप ही बता दो कितने है, तो मैंने कहा 2500/-रूपये है तो कपिल बिस्सा ने कहा यह तो साहब के है साहब को देने पड़ेंगे, तब मैंने कहा कि और कितने तब कपिल बिस्सा ने कहा कि इतने ही और कर देना। तब मैंने कहा घणा, तो कपिल बिस्सा जी ने कह रहा हूं इतने और दे देना, तब मैने का कुछ नहीं मैं लेकर आ रहा हूं ठीक है आ रहा हूं आप कितने बजे तक बैठे हो, तो कपिल बिस्सा जी ने कहा दो-एक घन्टा। तो मैंने कहा ये डायरी देनी होगी उपर एन्ट्री करवानी होगी, तो कपिल बिस्सा जी ने कहा हां। जिस पर पास ही खड़े श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर उक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री रविन्द्रसिंह के कथनों की ताईद होकर रिश्वति राशि मांग की पुष्टि हुई। उक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा सुरक्षित में रखा तथा परिवादी को रिश्वति राशि में दी जाने वाली राशि के बारे में पुछा परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पास 2500/-रूपये नही हैं मैं कल रूपयों की व्यवस्था कर वापस आ जाउंगा। जिस पर परिवादी को दिनांक 30.08.2024 को प्रातः 08.30 ए.एम. आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वति राशि व्यवस्था कर लेकर आने एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखस्त किया। तत्पश्चात् अग्रिम गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर दो स्वतन्त्र. गवाह भिजवाने हेतु एक पत्र सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम जारी कर जरिये ईमेल प्रेषित किया गया एवं स्वतन्त्र गवाह भिजवाने हेतु सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से जरिये मोबाईल वार्ता भी की। ताबाद सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर का पत्र क्रमांक 4964-65 दिनांक 29.08.2024 जरिये मेल प्राप्त हुआ। जिसमें स्वतन्त्र कार्यवाही हेतु गवाह श्री रमेशचन्द्र सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री विशाल राजपुरोहित कनिष्ठ अभियन्ता को भिजवाने हेतु लिखा हुआ है। तत्पश्चात् गवाह श्री रमेशचन्द्र सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री विशाल राजपुरोहित कनिष्ठ अभियन्ता के मोबाईल पर वार्ता कर दिनांक 30.08.2024 को प्रातः 08.30 कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 30.08.2024 को वक्त 08.30 ए.एम. पर परिवादी श्री रविन्द्रसिंह कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा साथ ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी श्री कपिल बिस्सा को रिश्वति राशि में दी जाने वाली रिश्वति राशि मैं 2500/-रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूं। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो की उक्त गोपनीय कार्यवाही हेतु श्रीमती सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। श्रीमती सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस का परिचय कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री रविन्द्रसिंह से करवाया तथा परिवादी का प्रार्थना पत्र मय आधार कार्ड की फोटो प्रति, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी व आरोपी श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक खान विभाग जोधपुर मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है को सुपर्द किया गया। ताबाद वक्त 08.40 ए.एम. पर मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री रविन्द्रसिंह की हस्त लिखित रिपोर्ट मय संलग्न आधार कार्ड एवं परिवादी श्री रविन्द्रसिंह को अपने साथ लेकर अपने कार्यलय कक्ष में आई व परिवादी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया तों परिवादी द्वारा अपनी माताजी श्रीमती निर्मल कवंर के नाम से खान का बकाया किराया S.B.I बैंक मे चालान से 92000 के लगभग अगस्त माह मे कराया था जिस चालान रशीद कि एन्ट्री करवाने के लिए खान विभाग के वरिष्ठ सहायक कपिल बिस्सा जी के पास गया, श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक को परिवादी ने डायरी व चालान रशीद पेश कि तो श्री कपिल बिस्सा ने डायरी में एन्ट्री करने व सील लगाने के लिए 5000/-रूपये रिश्वत मांगने की रिपोर्ट दी। परिवादी श्री रविन्द्रसिंह से रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के बारे

में दरियाफती की तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का सही होना बताया। उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 29.08.2024 को परिवादी श्री रविन्द्रसिंह व आरोपी श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक खान विभाग जोधपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है को सुना गया तो आरोपी श्री कपिल बिस्सा द्वारा परिवादी से 2500/-रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त करना एवं इतने ही और रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। परिवादी को मन् निरीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री कपिल बिस्सा को रिश्वति राशि में दी जाने वाली रिश्वति राशि 2500/-रूपये के बारे में पुछा तो परिवादी ने बताया कि श्री कपिल बिस्सा रिश्वत में दी जानी वाली राशि 2500/-रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूं। हस्त लिखित रिपोर्ट व रिकॉर्ड वार्ता से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का होने से गवाह् के उपस्थित आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करनें का निर्णय लिया गया। ताबाद वक्त 09.00 ए.एम. पर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से दो कार्मिको के कार्यालय हाजा में उपस्थित आये तथा मन् निरीक्षक पुलिस से सम्पर्क किया। उपस्थित आये कार्मिकों से मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो कार्मिको को अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने बारी-बारी से अपना परिचय श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री मंगलाराम उम्र 34 वर्ष जाति गुर्जर पेशा नौकरी निवासी प्लाट नं. 143 जगत विहार झालामण्ड जोधपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर। मोबाईल नं. [redacted] व श्री विशाल राजपुरोहित पुत्र श्री सीताराम राजपुरोहित उम्र 49 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी मकान नं. 96 मालवीय नगर एयरफोर्स एरिया जोधपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मोबाईल नं. 9413111696 के रूप में दिया। हर दोनो उपस्थित कार्मिकों एवं उपस्थित परिवादी श्री रविन्द्रसिंह का आपस में परस्पर परिचय करवाकर दोनो कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराकर परिवादी श्री रविन्द्रसिंह द्वारा दिनांक 29.08.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करवाया गया एवं परिवादी श्री रविन्द्रसिंह व आरोपी श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक खान विभाग जोधपुर के मध्य दिनांक 29.08.2024 को हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के में रिकार्ड है के मुख्य अंश का सुनाया गया। दोनो कार्मिकों द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पढकर परिवादी से तसली से पुछताछ कर एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंश सुनकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह् रहने की मौखिक सहमति दी। उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया। जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर परिवादी श्री रविन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर किये गये। तत्पश्चात वक्त 09.30 ए.एम. पर मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाहान श्री रमेशचन्द्र एवं विशाल राजपुरोहित के रू-ब-रू परिवादी श्री रविन्द्रसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह जाति राजपुत उम्र 40 वर्ष पेशा खेती निवासी चौपासनी स्कूल के सामने गली नं. 7 शिक्षक कॉलोनी जोधपुर को आरोपी श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक खान विभाग जोधपुर को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहां गया जिस पर परिवादी श्री रविन्द्रसिंह ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के कुल 05 नोट राशि 2500/-रूपये पेश किये। परिवादी श्री रविन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर निम्नानुसार है:- 1. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5MC 874114 2. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5BN 471220 3. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5BN 471219 4. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9ND 758431 5. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8AP 902315 श्री गणेश पंवार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा के मालखाना प्रभारी से फिनोफथलीन पाउडर की षीशी मंगवाई गई। जिस पर श्री गणेश पंवार वरिष्ठ सहायक ने मालखाना प्रभारी से फिनोफथलीन पाउडर की षीशी ली। उक्त 2500/- रूपये के नोटो पर श्री गणेश पंवार वरिष्ठ सहायक से पुराने अखबार के उपर रखकर नोटो पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री रविन्द्रसिंह की जामा तलाशी गवाह् श्री रमेशचन्द्र से लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल फोन के अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 2500/- रूपये जो श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक खान विभाग जोधपुर को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी के पहनी हुई पेन्ट के दाहिनी जेब में गवाहान के समक्ष श्री गणेश पंवार वरिष्ठ सहायक से रखवाये जाकर परिवादी श्री रविन्द्रसिंह को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दुर से हाथ जोड़कर नमस्कार करें साथ ही परिवादी को यह भी हिदायत दी गई की आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने पर कहा रखता उसका ध्यान रखे, साथ यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने पर ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेरकर या मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. [redacted] पर रिश्वती राशि आदान-प्रदान होने की सूचना मिस कॉल या कॉल करके करें। तत्पश्चात् एक साफ प्लांस्टक के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गणेश पंवार वरिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया

गया। फिर पाउडर लगाने वालें श्री गणेश पंवार वरिष्ठ सहायक से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर गिलास को नष्ट करवाया जाकर तथा जिस पुराने अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वालें श्री गणेश पंवार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा के मालखाना प्रभारी को देकर मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र एवं मन् पुलिस निरीक्षक सुनिता कुमारी के पास विभागीय परिचय पत्र व आकस्मिक खर्च के 2000/- रूपये रहने दिये गये, इसके अलावा किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक को हिदायत देकर कार्यालय में ही उपस्थित रहने हेतु छोड़ा गया। उक्त समस्त कार्यवाही फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी रिश्वति राशि मुर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षार करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। तत्पश्चात् वक्त 11.10 ए.एम. पर मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस, श्री चक्रवर्ती सिंह अतिरिक्त पुलिस, श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री रमेशचन्द्र एवं श्री विशाल राजपुरोहित, परिवादी श्री रविन्द्रसिंह मय ब्यूरो जाब्ता श्री प्रकाश चन्द उप निरीक्षक पुलिस, श्री भूरसिंह हैड कानि.नं. 91, श्री स्वरूपचन्द हैड कानि. नं. 29, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन टवेरा आरजे 14 यूसी 3352 मय चालक श्री प्रेमसिंह कानि. 435 मय परिवादी की निजी मोटरसाईकिल मय ब्यूरो जाब्ता की निजी मोटरसाईकिल के ट्रेप बॉक्स, आवश्यक ट्रैप सामग्री, परिवादी का प्रार्थना पत्र मय आधार की फोटो प्रति, कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर, लैपटॉप मय प्रिन्टर के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर से खान विभाग कार्यालय की तरफ रवाना होकर वक्त 11.20 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री चक्रवर्तीसिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी श्री रविन्द्रसिंह मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो के स्टॉफ के खान विभाग कार्यालय के पहले पहुंचे जहां पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा गोपनीय स्थान पर सरकारी वाहनो एवं मोटर साईकल को रोड़ के किनारे सुरक्षित स्थान पर खड़ा करवाया गया। तत्पश्चात् वक्त 11.25 ए.एम. पर परिवादी श्री रविन्द्रसिंह को आरोपी श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक खान विभाग जोधपुर के कार्यालय में रिश्वत राशि लेन-देन हेतु करने हेतु श्री भरत डुकिया कनिष्ठ लिपिक से कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर ऑन करवाकर परिवादी श्री रविन्द्रसिंह को आवश्यक हिदायत के साथ सुपुर्द कर खान विभाग कार्यालय की तरफ श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक से रिश्वति राशि का लेन-देन करने हेतु रवाना किया मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खान विभाग कार्यालय के आस पास परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। ताबाद वक्त 11.37 ए.एम. पर परिवादी श्री रविन्द्रसिंह खान विभाग कार्यालय से बाहर मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया। परिवादी श्री रविन्द्रसिंह से कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर श्री भरत डुकिया कनिष्ठ सहायक से लिवाकर उसको स्विच ऑफ करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा तथा मन् निरीक्षक पुलिस को परिवादी श्री रविन्द्रसिंह ने बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर खान विभाग कार्यालय के अन्दर पहुंचा। जहां पर खान विभाग कार्यालय के हॉल में श्री कपिल बिस्सा बैठा उपस्थित मिला। जिन्होने मेरे को देखकर कहा बोलो तो मैने कहा डायरी तो श्री कपिल बिस्सा ने कहा लेकर नहीं गये तब मैंने उसमें लग गया लास्ट डेट है उसमें, फिर मैंने थोड़ी देर बाद मैंने कहा बाहर चले तो श्री कपिल बिस्सा ने कहा बाद में । हॉल में और भी व्यक्ति होने कारण एवं किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण श्री कपिल बिस्सा ने मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की। श्री कपिल बिस्सा द्वारा बाद में बोलने व मेरी डायरी देने पर मैं डायरी लेकर बाहर आपके पास आ गया। इमरोजा ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं होने से आईन्दा ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाई जायेगी। तत्पश्चात् वक्त 11.40 ए.एम. पर मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस, श्री चक्रवर्ती सिंह अतिरिक्त पुलिस, श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री रमेशचन्द्र एवं श्री विशाल राजपुरोहित, परिवादी श्री रविन्द्रसिंह मय ब्यूरो जाब्ता श्री प्रकाश चन्द उप निरीक्षक पुलिस, श्री भूरसिंह हैड कानि.नं. 91, श्री स्वरूपचन्द हैड कानि. नं. 29, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन टवेरा आरजे 14 यूसी 3352 मय चालक श्री प्रेमसिंह कानि. 435 मय परिवादी की निजी मोटरसाईकिल मय ब्यूरो जाब्ता की निजी मोटरसाईकिल के ट्रेप बॉक्स, आवश्यक ट्रैप सामग्री, परिवादी का प्रार्थना पत्र मय आधार की प्रति, कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर, लैपटॉप मय प्रिन्टर के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर की तरफ रवाना होकर वक्त 11.50 पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान मय वाहनों के कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर में उपस्थित आये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर आज दिनांक 30.08.2024 को परिवादी एवं श्री कपिल बिस्सा के मध्य रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बन्ध में हुई वार्ता को सुना गया तो रिकार्ड वार्ता में श्री कपिल बिस्सा द्वारा परिवादी को बोला गया कि बोलो, तो परिवादी ने कहा डायरी, तब श्री कपिल बिस्सा ने कहा लेकर नहीं गये क्या, तब परिवादी ने कहा उसमें लग गया लास्ट डेट है उसमें, फिर परिवादी ने बाहर चले तो,

श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक की अस्पष्ट आवाज आने पर मैंने परिवादी से पुछा तो परिवादी ने कि बाद में ऐसा बोला है। अन्य व्यक्तियों की आवाज आ रही तो कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक की साफ आवाज रिकार्ड नहीं हुई। ताबाद परिवादी श्री रविन्द्रसिंह को पूर्व में सुपुर्दशुदा रिश्वति राशि 2500/रूपये परिवादी श्री रविन्द्रसिंह के पहनी हुई पेन्ट के दाहिनी जेब से स्वतंत्र गवाह श्री रमेशचन्द्र से निकलवाकर एक सफेद लिफाफे में डलवाकर उपरोक्त रिश्वति राशि 2500/रूपये को व परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली, डिजिटल वॉयस टेप रिकार्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाकर अलमारी के ताला लगवाकर चाबी मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास रखी। ताबाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री रमेशचन्द्र सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री विशाल राजपुरोहित कनिष्ठ अभियन्ता को उक्त कार्यवाही की गोपनीयता बरतते हुए आईन्दा कार्यवाही प्रस्तावित होने पर बुलाये जाने पर कार्यालय एसीबी जोधपुर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूख्सत किया। परिवादी श्री रविन्द्रसिंह को हिदायत दी गई कि कार्यालय बुलाये जाने पर कार्यालय उपस्थित आवे तथा जब भी आरोपी श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक से संम्पर्क होने पर उक्त रिश्वत राशि लेने का समय तय करने हेतु निर्देशित कर कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 24.09.2024 को वक्त 02.20 पी.एम. पर परिवादी श्री रविन्द्रसिंह हाजा में उपस्थित होकर मन् निरीक्षक के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मुझ प्रार्थी रविन्द्रसिंह S/O गोविन्दसिंह उम्र 36 वर्ष निवासी शिक्षक कॉलोनी चौपासनी स्कूल गली 7 जोधपुर दिनांक 29.08.2024 को ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक खान विभाग जोधपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2500/-रूपये पेश की थी। श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक खान विभाग जोधपुर ने आज दिनांक 24.09.2024 तक मेरे को न कॉल किया न ही मेरे को मिला सायद व अब रिश्वत नहीं लेगा। अतः मेरे को मेरी राशि लौटाने का कष्ट करावें।" परिवादी श्री रविन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों अनुसार आरोपी द्वारा परिवादी से अब रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करने पर रिश्वत राशि का लेन-देन सम्भव नहीं होने पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों को हालात निवेदन किये जाकर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् वक्त 02.47 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त फिकरानुसार अब ट्रेप कार्यवाही बकाया नही होने से प्रकरण के पूर्व के स्वतंत्र गवाहान श्री रमेशचन्द्र एवं श्री विशाल राजपुरोहित की तलबी हेतु जरिये मोबाईल सुचित कर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। ताबाद वक्त 03.00 पी.एम. पर पाबन्द शुदा गवाहान श्री रमेशचन्द्र सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री विशाल राजपुरोहित कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। जिस पर कार्यालय हाजा में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री रविन्द्रसिंह एवं दोनो गवाहान का पुनः परिचय करवाया जाकर गवाहान को कार्यालय हाजा पर बुलाने के मतन्व्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी द्वारा आज दिनांक को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र पढाया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतन्त्र गवाहन ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् वक्त 03.15 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के रूबरू कार्यालय हाजा का डिजिटल वॉयस रिकार्डर अलमारी से सुरक्षित निकालकर जिसमें परिवादी श्री रविन्द्रसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपुत उम्र 36 वर्ष निवासी शिक्षक कॉलोनी चौपासनी स्कूल गलीः 7 जोधपुर एवं आरोपी श्री कपिल बिस्सा के मध्य दिनांक 29.08.2024 को रिश्वत राशि मांगने की हुई वार्ता जो इस कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में मन् निरीक्षक पुलिस के निर्देशन एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक से उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट करवाकर उसमें रिकार्ड वार्ता को कॉपी कराकर उक्त रिकार्ड वार्तालाप को शब्द ब शब्द सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्तालाप में एक आवाज परिवादी श्री रविन्द्रसिंह ने अपनी स्वयं की एवं दुसरी आवाज आरोपी श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक खान विभाग जोधपुर की होना बताया, दोनो आवाजों की पहचान परिवादी द्वारा की गई। उक्त वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हैं को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की गई। फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता की अनुलिपि एवं सीडीयां तैयार करने के बाद एक सीडी को मूल मानकर कपड़े की थैली में डालकर थैली की सिलाई कर शिल्ड मोहर किया की गई। थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। शेष दो डब सीडी को खुली हालत में ही रहने दिया गया। जिसमें एक डब सीडी अनुसंधान अधिकारी व दुसरी डब सीडी आरोपी के लिये। मूल शील्डशुदा एवं दो डब सीडी खुली हाला में जमा मालखाना करवाया गया। ताबाद वक्त 04.20 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के रूबरू कार्यालय हाजा का डिजिटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर जिसमें परिवादी श्री रविन्द्रसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह जाति राजपुत उम्र 36 वर्ष पेशा खेती निवासी चौपासनी स्कूल के सामने गली नं. 7 शिक्षक कॉलोनी जोधपुर एवं आरोपी श्री कपिल बिस्सा के मध्य दिनांक 30.08.2024 को रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व हुई वार्ता जो इस कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। रिश्वत राशि मांगने की हुई वार्ता जो इस कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में मन् निरीक्षक पुलिस के निर्देशन एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक से उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट करवाकर उसमें रिकार्ड वार्ता को कॉपी कराकर उक्त

रिकार्ड वार्तालाप को शब्द ब शब्द सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्तालाप में एक आवाज परिवादी श्री रविन्द्रसिंह ने अपनी स्वयं की एवं दुसरी आवाज आरोपी श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक खान विभाग जोधपुर की होना बताया, दोनो आवाजों की पहचान परिवादी द्वारा की गई। उक्त वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हैं को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व वार्ता की अनुलिपि एवं सीडीयां तैयार करने के बाद एक सीडी को मूल मानकर कपड़े की थैली में डालकर थैली की सिलाई कर शिल्ड मोहर किया की गई। थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। शेष दो डब सीडी को खुली हालत में ही रहने दिया गया। जिसमें एक डब सीडी अनुसंधान अधिकारी व दुसरी डब सीडी आरोपी के लिये। मूल शील्डशुदा एवं दो डब सीडी खुली हाला में जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात् वक्त 05.30 पी. एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के रूबरू परिवादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिश्वती राशि 2500/-रू. भारतीय चलित मुद्रा नोट एक सफेद लिफाफे में गवाह से डलवाकर कार्यालय की अलमारी में रखवाये गये थे। उक्त अलमारी का ताला खुलवाया जाकर रिश्वती राशि के लिफाफे को सुरक्षित निकाल कर रूबरू गवाहान के उक्त लिफाफे में से 2500/-रूपये निकालकर नोटो को साफ एवं झटक कर परिवादी श्री रविन्द्रसिंह को रूबरू गवाहान सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद गवाहान एवं परिवादी को रूखस्त किया गया। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री रविन्द्रसिंह की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में दिनांक 29.08.2024 को रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक खान विभाग जोधपुर द्वारा परिवादी की माताजी श्रीमती निर्मल कवंर के नाम से खान 262 व 263 पाबुमगरा जोधपुर में जारी हो रखी है परिवादी द्वारा खान का बकाया किराया S.B.I. बैंक मे चालान से 92000 के लगभग अगस्त माह में जमा कराया था उक्त चालान रसीद का इन्द्राज डायरी में करवाने व डायरी में खनिज विभाग की सील व हस्ताक्षर कर रिकार्ड में संधारण हेतु 2500/-रूपये प्राप्त करना तथा इतने ही रूपये की और मांग करना पाया गया। दिनांक 30.08.2024 को रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व आरोपी श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करना व रिकार्डर में अस्पष्ट आवाज आने पर परिवादी से पुछने पर बताना कि श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक ने बाद में आने का धीरे से बोला है। इस तरह आरोपी श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी से खान का बकाया किराया की चालान रसीद का डायरी में इन्द्राज कराने एवं डायरी में खनिज विभाग की सील व हस्ताक्षर कर रिकार्ड में चढाने हेतु 2500/-रूपये रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त करना एवं 2500/-रूपये रिश्वत राशि की ओर मांग करना पाया गया है। आरोपी श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक खान विभाग जोधपुर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। चूंकि परिवादी द्वारा दी गई रिपोर्ट में आरोपी का नाम व पदनाम श्री कपिल बिस्सा वरिष्ठ सहायक खान विभाग जोधपुर होना बताया गया। आरोपी श्री कपिल बिस्सा का सेवा विवरण प्राप्त किया गया। सेवा विवरण के अनुसार आरोपी का नाम श्री कपिल बिस्सा पुत्र स्व. श्री रमेशचन्द्र बिस्सा उम्र 31 वर्ष निवासी जालफ मौहल्ला, जालोरी गेट जोधपुर (राज.) हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय खनि. अभियन्ता जोधपुर होना पाया जाने आरोपी के पदस्थापन कार्यालय का नाम कार्यालय खनि. अभियन्ता अंकित किया गया है। अतः श्री कपिल बिस्सा पुत्र स्व. श्री रमेशचन्द्र बिस्सा उम्र 31 वर्ष निवासी जालफ मौहल्ला, जालोरी गेट जोधपुर (राज.) हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय खनि. अभियन्ता जोधपुर का कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में दण्डनीय होने से इनके विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है। (सुनिता कुमारी) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर....... कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती सुनिता कुमारी, निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)में आरोपी श्री कपिल बिस्सा पुत्र स्व. श्री रमेशचन्द्र बिस्सा उम्र 31 वर्ष निवासी जालफ मौहल्ला, जालोरी गेट जोधपुर (राज.) हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय खनि. अभियन्ता जोधपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ओमप्रकाश चौधरी,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर स्पेशल यूनिट, जोधपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 241 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1455-58 दिनांक 18-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर। 2-निदेशक, निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** OM PRAKASH Chodhary **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: /2024

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** GYAN SINGH CHOUDHARY

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 19/06/1992 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐं) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गुदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)